न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 40/2024

जीसीएमएस सं. 2024/37

अपीलांट्सः–

1. जसवंत कंवर पत्नी श्री मेघ सिंह
2. जीतू सिंह पुत्र श्री मेघ सिंह
3. बेबू कंवर पुत्री श्री मेघ सिंह

सभी जातियान राजपूत, निवासीगण ग्राम डेरिया, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोंडेंट्सः–

1. गोर्धन सिंह पुत्र श्री पूंजराज सिंह
2. सुगन कंवर पत्नी श्री रेवंत सिंह
3. नरपत सिंह पुत्र श्री मालम सिंह
4. गोप सिंह पुत्र श्री मालम सिंह
5. गायड सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह

सभी जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम डेरिया, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

6. तहसीलदार, बालेसर, जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बविरूद्ध आदेश दिनांक 10.08.2015 जो तहसीलदार, बालेसर द्वारा बंटवाडा आदेश क्रमांक राजस्व/759 ग्राम डेरिया, तहसील बालेसर में पारित किया गया, जिसके आधार पर नामांतरकरण प्रविष्ठि की क्रम सं. 964 दिनांक 15.03.2016 भरा गया।

उपस्थितिः–

अधिवक्ता श्री भवानी सिंह भलासरिया एवं हेमलता (अपीलांट्स की ओर से)

निर्णय **दिनांक 16.12.2025**

1. यह अपील राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 की धारा 225 के अंतर्गत तहसीलदार, बालेसर द्वारा पारित बंटवारा आदेश क्रमांक 759 दिनांक 10.08.2015 व ग्राम डेरिया के

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नामांतरकरण सं. 964 पर पारित आदेश दिनांक 15.03.2016 को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 28.10.2020 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थीगण को दिनांक 30.07.2022 को जरिये रजिस्टर्ड पत्र समन भेजे गऐ थे, जो दिनांक 02.08.2022 को उन्हे डिलीवर हुए है, जिनकी पोस्टल ट्रेक रिपोर्ट अपीलांट अधिवक्ता द्वारा पेश की गई है, फिर भी प्रत्यर्थीगण अनुपस्थित रहे। न तो प्रत्यर्थीगण में से कोई स्वयं उपस्थित हुआ है तथा न ही उनकी ओर से किसी अधिवक्ता ने पैरवी हेतु उपस्थिति इस न्यायालय में दी है। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा निर्णय मेरिट के आधार पर पारित किया जाना न्यायोचित है।

3. अपील मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार अपील प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम डेरिया, भू.अ.निरीक्षक वृत खुडियाला, तहसील बालेसर (हाल सेखाला) का ख.नं. 328 रकबा 71–01 बीघा संयुक्त खातेदारी की भूमि का आपसी सहमति से दिनांक 10.08.2015 को तहसीलदार द्वारा बंटवारा करना बताया गया है, जिसमें अपीलांट की कभी सहमति नहीं थी। अपीलार्थी जीतू सिंह दिनांक 10.08.2015 को नाबालिग था। वह सहमति नहीं दे सकता था तथा उसकी मां ने कभी सहमति नहीं दी। प्रत्यर्थीगण ने धोखाधडी करते हुए आक्षेपित बंटवारा करवाया है। अतः बंटवारा के आधार पर दर्ज नामांतरकरण सं. 964 दिनांक 15.03.2016 व नक्शों में की गई तरमीम विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त योग्य है। आक्षेपित बंटवारा मौके की जांच किये बिना ही किया गया है। नामांतरकरण दर्ज करने में व तरमीम करने में अपीलांट्स को नहीं सुना गया।

अपीलार्थीगण के पति/पिता मेघसिंह की कृषि भूमि को अलग–अलग टुकडों में बांटकर अन्य खातेदारों का हिस्सा बीच में डालकर गलत तरीके से तरमीम की गई है। अपीलांट जसवंत कवंर को ख.नं. 328/6 व जीतू सिंह को ख.नं. 328/2 और बेबू कंवर को ख.नं. 328/1 के बट्टे जारी किये गये, इनके बीच में अन्य खातेदारों को भूमि देकर, एक ही जमीन को दूर बताकर, आपस में आना जाना भी संभव नहीं है तथा रास्ता भी उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा भारी असुविधा हो गई है, जबकि बंटवारा में प्रत्येक खातेदार को रास्ता उपलब्ध कराना जरूरी है। उक्त गलत बंटवारा के आधार पर दर्ज किया गया नामांतरकरण सं. 964 व की गई तरमीम भी गलत होने से इन्हे खारिज किया जावे तथा प्रत्यर्थीगण के स्थान पर अपीलांट्स का नाम तमाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

4. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री भवानी सिंह भलासरिया व हेमलता की बहस सुनी गई।

5. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी जसवंत कंवर एक विधवा औरत है, जिसके दो संतानें जीतू सिंह व बेबू कंवर है। बंटवारा में जसवंत कंवर को ख.नं. 328/6, जीतू सिंह को ख.नं. 328/2 व बेबू कंवर को ख.नं. 328/1 दिये गये है, जो आपस में लगते हुए नहीं होकर दूर–दूर स्थित है तथा मेघसिंह जी के कब्जे की भूमि को कई हिस्सों में बांट दिया गया है तथा मां–बेटे को दूर–दूर खेत दिये है। आवागमन के रास्ते का प्रावधान भी बंटवारा में नहीं किया गया है, जो बंटवारा के नियमों/सिद्धांतों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार की जावे तथा मौका कब्जा अनुसार बंटवारा करने हेतु प्रकरण तहसीलदार सेखाला को प्रतिप्रेषित किया जावे।

6. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन कर अवलोकन किया। अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों व कथनों पर मनन किया।

7. अपीलांट्स द्वारा यह अपील तहसीलदार, बालेसर द्वारा पारित बंटवारा आदेश दिनांक 10.08.2015 के विरूद्ध दिनांक 28.10.2020 को 5 वर्ष की देरी से पेश की है तथा अपील के साथ अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 पेश किया है, जिसमें कथन किया है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा बंटवारा के आधार पर अपीलार्थीगण के कब्जे की भूमि पर कब्जा करने की धमकी देने पर दिनांक 06.10.2020 को नकल लेने पर जानकारी हुई तथा उसके बाद अपील पेश की गई है, जो अंदर म्याद है।

8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया।

9. आक्षेपित विभाजन आदेश कमांक 759 दिनांक 10.08.2015 से ग्राम डेरिया (वर्तमान ग्राम जगरूप नगर, प.मं. डेरिया, भू.अ.नि. वृत्त डेरिया, तहसील चामू) के ख.नं. 328 रकबा 71–01 बीघा का विभाजन करके

a) अपीलांट जसवंत कंवर को ख.नं. 328/6 में 01–08–05 बीघा भूमि बंट में आवंटित की गई है। अपना खाता पोर्टल में वर्तमान में ख.नं. 328/6 की भूमि ग्राम

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

जगरूपनगर की जमाबंदी संवत् 2076–2079 में सांगसिंह पुत्र मालम सिंह की खातेदारी में दर्ज है।

b)इसी प्रकार बंटवारा दिनांक 10.08.2015 में ख.नं. 328/2 रकबा 5–18–10 बीघा भूमि अपीलांट जीतू सिंह को बंट में आवंटित की गई है, परंतु ख.नं. 328/2 की भूमि वर्तमान में समु कंवर व पवन कंवर की खातेदारी में दर्ज है, जिन्हे पक्षकार नहीं बनाया है।

c)इसी प्रकार बंटवारा दिनांक 10.08.2015 में ख.नं. 328/1 रकबा 5–18–10 बीघा भूमि बेबू कंवर को बंट में दी गई है, जो वर्तमान ग्राम जगरूपनगर की जमाबंदी में बेबू कंवर व मंगल सिंह पुत्र चैन सिंह के नाम खातेदारी में दर्ज है परंतु मंगल सिंह को पक्षकार नहीं बनाया है।

d)उपरोक्त के अलावा प्रत्यर्थीगण के नाम निम्नानुसार इन्द्राज हुए है:–
ख.नं. 328 नरपत सिंह, ख.नं. 328/3 गायड सिंह, ख.नं. 328/4 सुगन कंवर, ख.नं. 328/5 गोर्धन सिंह व गुड्डी कंवर, ख.नं. 328/7 गोपसिंह के नाम दर्ज है परंतु नया खातेदार गुड्डीकंवर को पक्षकार नहीं बनाया है।

e)अपीलांट्स का मुख्य आरोप यह है कि बंटवारा के दौरान अपीलांट्स को दूर–दूर भूमि दी गई है। अपीलांट जसवंत कंवर को ख.नं. 328/6 की भूमि दी गई है, जो पुत्र जीतू सिंह को आवंटित ख.नं. 328/2 तथा पुत्री बेबू कंवर को आवंटित ख.नं. 328/1 की भूमि से बहुत दूर है तथा रास्ते की व्यवस्था भी नहीं की गई है। उक्तानुसार वर्तमान रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट 1 जसवंतकंवर ख.नं. 328/6 की भूमि की तथा अपीलांट जीतू सिंह 328/2 की भूमि का हस्तांतरण कर चुके है तथा उक्त दोनों ख.नं. 328/6 व 328/2 के, वर्तमान में खातेदार नहीं रहे है तथा हस्तांतरण से उनके समस्त हित समाप्त हो चुके है तथा नए व्यक्ति पक्षकार नहीं है।

इसी प्रकार शेष रही अपीलांट बेबू कंवर को ख.नं. 328/1 की भूमि एक जगह ही दी गई है तथा उसमें भी एक नया सहखातेदार मंगल सिंह पुत्र चैन सिंह को जोडा गया है, परंतु उसे पक्षकार ही नहीं बनाया है तथा एक ही परिवार को दूर–दूर भूमि आवंटित करने का आक्षेप समाप्त हो चुका है।

10. अपीलांट्स ने इस अपील में यह अनुतोष मांगा है कि बंटवारा आदेश दिनांक 10.08.2015, नामांतरकरण सं. 964 व तरमीम को खारिज करके प्रत्यर्थीगण के स्थान पर अपीलांट्स का नाम तमाम राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज किया जावे। रिकॉर्ड अनुसार

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

ख.नं. 328 में प्रत्यर्थीगण भी सहखातेदार थे तथा बंटवारा सहखातेदारान के मध्य आपसी सहमति से हुआ है तो प्रत्यर्थीगणों के नाम हटाकर संपूर्ण आराजी अपीलांट्स के नाम कैसे दर्ज की जा सकती है।

11. इसके अतिरिक्त यह अपील 5 वर्ष से भी अधिक देरी से पेश की गई है तथा धारा 5 के प्रार्थना पत्र में देरी को माफ करने का जो कारण लिखा है, वह पर्याप्त नहीं होने से मानंने योग्य ही नहीं है। प्रत्यर्थीगण ने अपीलांट्स को बेदखली करने की धमकी किस तिथि को दी, इसका कोई उल्लेख ही नहीं है। मात्र दिनांक 06.10.2020 को नकल लेने की तारीख को आक्षेपित बंटवारा होने की जानकारी होने का कथन पर्याप्त नहीं है। अपीलांट्स स्वयं ने ही आक्षेपित बंटवारा को स्वीकार करके, उनकों आवंटित भूमि को स्वीकार कर लिया है तथा आगे हस्तांतरण भी कर दिया है। अपीलांट की उपस्थिति में बंटवारा आदेश पारित किया गया है। उक्त तथ्यों को इस न्यायालय से छुपाया गया है तथा बिना किसी आधार के पूरी भूमि के इंद्राज भी अपीलांट्स के नाम दर्ज करने की इस्तदुआ की भी मांग की गई है, जो कतई उचित नहीं है। अपीलांट्स स्वयं के आचरण व कृत्यों से एस्टोप्ड है। अपीलांट को दिंनाक 10.08.2015 से ही बंटवारा की जानकारी थी।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है तथा परिणामस्वरूप यह अपील भी म्याद बाहर पेश होने से अस्वीकार योग्य है।

12. इसके अतिरिक्त, उपरोक्त तथ्यात्मक व अभिलेखीय स्थिति अनुसार मेरिट पर भी अपीलांट्स की अपील निष्प्रभावी होने से खारिज योग्य है क्योंकि अपीलांट्स ने बंट में प्राप्त भूमि का हस्तांतरण कर दिया है। उनका अब इस भूमि में कोई हित शेष नहीं रहा है।

आदेश

13. परिणामतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.08.2015 यथावत रखा जाता है तथा उसकी पुष्टि की जाती है तथा
14. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, बालेसर को लौटाया जावे।
15. मूल अपील को अस्वीकार करने के फलस्वरूप, लंबित स्थगन प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है।
16. प्रकरण में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) का भी एतद्द्वारा निस्तारण किया जाता है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

17. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम),
जोधपुर।

यह निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम),
जोधपुर।